(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 119 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, कांडला पत्तन न्यास द्वारा आबंटित गांधी धाम टाउनशिप लैंड्स के पट्टा किरायों की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/9/2006-केपीटी

आ दे श

(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा आबंटित गांधीधाम टाउनशिप लैंड्स के पट्टे किरायों को इस प्राधिकरण द्वारा अनन्तिम रूप से 22 अप्रैल 2008 को संशोधित किया गया था। कथित आदेश भारत का राजपत्र में राजपत्र सं. 100 के माध्यम से 16 जून 2008 को अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराया 1 जनवरी 2004 के पिछले प्रभाव से लागू किए गए थे जिनकी वैधता अवधि 5 वर्ष अर्थात 31 दिसंबर 2008 तक थी।

2. पत्तन के अनुरोध पर इस प्राधिकरण ने पट्टा किरायों की वैधता, दिनांक 28 जुलाई 2009 के आदेश द्वारा 1 जुलाई 2009 से 4 माह की अवधि के लिए बढ़ाई जिसे 23 अक्तूबर 2009 के आदेश द्वारा और आगे 31 मार्च 2010 तक विस्तार प्रदान किया गया।

3. दिनांक 29 मार्च 2010 के अपने पत्र के माध्यम से केपीटी ने सूचित किया है कि यद्यपि भूमि मूल्यांकक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, मंडल को अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा। इसलिए, केपीटी ने गांधीधाम टाउनशिप लैंड्स के वर्तमान पट्टे किराए की वैधता को 30.06.2010 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया है।

4. पत्तन ने अपने पट्टा किरायों के संशोधन के लिए अभी तक अपना प्रस्ताव दाखिल नहीं किया है। चूंकि केपीटी द्वारा आबंटित भूमि के वर्तमान पट्टा किरायों की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो रही है, वर्तमान पट्टा किरायों की वैधता इस तिथि से आगे विस्तारित करने की आवश्यकता है। महापत्तनों की भूमि नीति पर सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शियों में दिया गया है कि पट्टे किरायों में वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें संशोधित किए जाने तक 2% प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी। अप्रैल 2008 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश भी सरकारी मार्गदर्शियों के अनुसार यह शर्त प्रदान करता है। पट्टा किरायों की दरें संशोधित किए जाने तक पट्टा किरायों में 2% वार्षिक की वृद्धि का प्रावधान पहले ही करता है।

5. इसलिए यह प्राधिकरण कांडला पत्तन न्यास द्वार आबंटित भूमि के लिए वर्तमान पट्टा किरायों की वैधता को 30 सितंबर 2010 तक या केपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव के अंतिम निपटान तक इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष